

“105क.	30	जीन थेरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 53(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 2/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 3/2024 – Central Tax (Rate), dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 399(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 02/2025-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 54(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“105क.	30	जीन थैरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 401(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 54(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 03/2024-Union Territory Tax (Rate) dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 401(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 02/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 55(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

“105क.	30	जीन थेरेपी”;
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकेज्ड हो किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमें वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 02/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 55(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and the proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/2/2025-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:-The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 03/2024-Integrated Tax (Rate) dated the 12th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 400(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 03/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 56(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1310 (अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, “(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)” के पश्चात शब्द और प्रतीक, “(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे सा.का.नि. 696(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 03/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 56(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols “(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.